रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजीपुर।

पत्रांक– 1461 /22-1 दिनांक गाजीपुर, 09-12- 2021

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक–।।।
रेल विकास निगम लि0,
निकट– डी0आर0एम0 आफिस, लहरतारा, वाराणसी।

विषयः– भटनी– औड़ीहार रेलवे लाईन (कुल किमी0 1.00 से 125.00 तक) के दोहरीकरण में देवरिया वन प्रभाग में प्रभावित 38.8283 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2052 वृक्षों का पातन, बलिया वन प्रभाग में प्रभावित 33.29 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2172 वृक्षों का पातन, मऊ वन प्रभाग में प्रभावित 29.5769 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1049 वृक्षों का पातन एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1442 वृक्षों का पातन अर्थात कुल प्रभावित 162.8776 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 6715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यूपी/07/93/2021/एफ.सी./556 दिनांक 02.12.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1691/11–सी–**FP/UP/Rail/44309/2020** दिनांक 03.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र में अंकित शर्तों के अधीन जो आपको भी पृष्ठांकित है, निम्न प्रकार धनराशि जमा करने का कष्ट करें–

क0 सं0	प्रभाग का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.12.2021 के अनुसार शर्त संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	एन0पी0वी0 की धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि	योग
1	देवरिया	2, 3,व 4	38.8283	3,11,79,125.80	5,30,62,496.00	3,11,79,125.80
2	बलिया	2, 3,व 4	33.2900	2,08,39,540.00		2,08,39,540.00
3	मऊ	2, 3,व 4	29.5769	1,85,15,140.00		1,85,15,140.00
4	गाजीपुर	2, 3,व 4	61.1824	3,83,00,183.00		3,83,00,183.00
		कुल योग	**162.8776**	**10,88,33,988.00**	**5,30,62,496.00**	**16,18,96,484.00**

शर्त संख्या–2, 3, 4, 5 व 6 के अनुसार कुल वांछित धनराशि रू0 16,18,96,484.00(रू0 सोलह करोड़ अंठारह लाख छानवे हजार चार सौ चौरासी मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से जनरेट आनलाईन ई–चालान के माध्यम से जमा कर जमा की गई धनराशि की आनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित संदर्भित पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पॉच प्रतियों में निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें। तथा कुल 6715 वृक्षो का छपान व्यय 10 रूपया प्रतिवृक्ष की दर से 2052 वृक्षों का पातन शुल्क 20520/–(रू0 बीस हजार पॉच सौ बीस मात्र) प्रभागीय कार्यालय देवरिया, 2172 वृक्षों का पातन शुल्क 21720/–(रू0 इक्कीस हजार सात सौ बीस मात्र) प्रभागीय कार्यालय बलिया, 1049 वृक्षों का पातन शुल्क 10490/–(रू0 दस हजार चार सौ नब्बे मात्र) प्रभागीय कार्यालय मऊ एवं 1442 वृक्षों का पातन शुल्क 14420/–(रू0 चौदह हजार चार सौ बीस मात्र) बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रभागीय कार्यालय गाजीपुर में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त छपान व्यय की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो अतिरिक्त धनराशि भी आप द्वारा जमा करानी होगी।

.....2

प्रारूप

क्र0सं0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3

भवदीय

(प्रदीप)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, गाजीपुर

पत्रांक 14161 / समदिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
3. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया, बलिया एवं मऊ।
5. प्रभागीय वनाअधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी।
6. प्रबन्धक (सिविल) रेल विकास निगम लि0, कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक–।।।, निकट–डी0आर0एम0 आफिस, लहरतारा, वाराणसी।

(प्रदीप)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, गाजीपुर

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024. Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/07/93/2021/एफ0सी0 /556

दिनांक : 02.12.2021

सेवा में,
अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Rail/44309/2020.

विषय: भटनी–औड़िहार रेलवे लाईन (कुल किमी0 1.00 से 125.00 तक) के दोहरीकरण में देवरिया वन प्रभाग में प्रभावित 36.8283 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2052 वृक्षों का पातन, बलिया वन प्रभाग में प्रभावित 33.29 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2172 वृक्षों का पातन, मऊ वन प्रभाग में प्रभावित 29.5769 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1049 वृक्षों का पातन एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1442 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल प्रभावित 162.8776 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 6715 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–2078/81–2–2021–800(50)/2021, लखनऊ, दिनांक–22.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–पी–58/81–2–2021–800(50)/2021, लखनऊ दिनांक – 17.03.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार भटनी–औड़िहार रेलवे लाईन (कुल किमी0 1.00 से 125.00 तक) के दोहरीकरण में देवरिया वन प्रभाग में प्रभावित 36.8283 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2052 वृक्षों का पातन, बलिया वन प्रभाग में प्रभावित 33.29 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2172 वृक्षों का पातन, मऊ वन प्रभाग में प्रभावित 29.5769 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1049 वृक्षों का पातन एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1442 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल प्रभावित 162.8776 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 6725 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 326 ha. degraded forest land in Naugarh, Majhghai, Jaomohini, Chandraprabha Range, District-Chandauli at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 162.8776 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect

6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. The compiete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

8. DFO should submit a 'No violation Certificate' while submitting compliance.

9. Speed regulating signage will be erected along the railway line at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

10. The user agency shall provide suitable under/ over passes in ProtectedArea/ Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

11. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

13. No labour camp shall be established on the forest land.

14. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

15. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

16. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

20. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

22. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

23. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *(https://parivesh.nic.in/)*.

24. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in)*

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय,

(डॉ0प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा).

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, देवरिया, बलिया, मऊ एवं गाजीपुर।
5. प्रबंधक सिविल रेल विकास निगम लि0 कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक—III नियर डीआरएम ऑफिस लहरतारा, वाराणसी।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

02.12.2021
(डॉ0प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक— 1691 /11—सी—FP/UP/RAIL/44309/2020, लखनऊ, दिनाँकः दिसम्बर 03 , 2021

<u>प्रतिलिपिः—</u> मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी एवं आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई—पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई—चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति की **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः—</u> प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया, बलिया, मऊ एवं गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई—पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई—चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों** तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंधन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः—</u> प्रबन्धक (सिविल), रेल विकास निगम लि0, कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक—III नियर—डी0आर0एम0 आफिस, लहरतारा, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के **निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर** बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।